

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक ०८/०९/२६

०१/स्था०-०२/१६...../एम० श्री अंकित कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद को कार्यहित में अगले तीन माह तक जिला खनन कार्यालय, नवादा में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

२. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
३. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक -०१/स्था०-०२/१६-.....एम, पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक -०१/स्था०-०२/१६-.....एम, पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक -०१/स्था०-०२/१६-.....एम, पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक -०१/स्था०-०२/१६-५८७३.....एम, पटना, दिनांक ०८/०९/२६
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट अपलोड करने हेतु), खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०८/०९/२६
सरकार के अपर सचिव

०८-०९-२६